

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higeredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222 तक 5153223 तक 5153660 (आई.पी.नं. 24870)

क्रमांक प. 6(12)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2021

जयपुर, दिनांक:- 17.02.2022

—: आदेश :—

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03.01.2022 को की गई वर्ष 2021-22 में की गई घोषणा की अनुपालना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :—

(1) उक्त महाविद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय में, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार बजट मद में निम्नानुसार पदों के सृजन का विवरण निम्नानुसार है :—

महाविद्यालय का नाम	बजट मद	पदनाम	पदों की संख्या
1. राजकीय कन्या महाविद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	2202-03-103-03-00 (राज्य निधि मद)	प्राचार्य	01
		सहायक आचार्य	12
		पुस्तकालयाध्यक्ष	01
		शारीरिक शिक्षक	01
		सहायक लेखाधिकारी—।	01
		प्रशासनिक अधिकारी	01
		आशुलिपिक	01
		विशिष्ट सहायक	02
		कनिष्ठ सहायक	05
		प्रयोगशाला सहायक	05
		प्रयोगशाला वाहक	05
		बुक लिफ्टर	03
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	08
		कुल योग	46

(2) उक्त महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में 46 पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। नवीन राजकीय महाविद्यालय हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(3) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालय में विद्या संबंध मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) वेतनादि एवं महाविद्यालय के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय राशि के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(4) महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि रूपये 4.50 करोड़ के व्यय की स्वीकृति एतद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102202292 दिनांक 09.05.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

कृ.पृ.च.

5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. लेखाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 20 (101 /)/आयो/आकाशि/2022-23/193-208

दिनांक: 23.05.2022

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव,(एच डी)माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 10 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 11 लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
- 12 कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 13 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर
- 15 संयुक्त निदेशक (अकादमी/प्रशासन/एच आर डी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 16 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
- 17 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वालतं।
- 18 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज, जयपुर